ग्राम पंचायत गदियाड़ा विकास खण्ड पंचरूखी जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग—एक

1. **प्रस्तावना :—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गदियाड़ा विकास खण्ड पंचरूखी जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत गदियाड़ा में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान :—

1	श्रीमति सरिता कुमारी	01.04.2022 से 19.12.2023
2	श्री रमेश चन्द	20.12.2023 से 28.02.2024
3	श्रीमति राजेश्वरी कुमारी	01.03.2024 से लगातार

सचिव :—.

1	श्री सुशील कुमार	01.04.2022 से 11.06.2023
2	श्रीमति पंकज कुमारी	12.06.2023 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

ग्राम पंचायत गदियाड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेषों में अन्तर पाया जाना ।	0.30
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	70.17
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	1.11
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली न करना	0.08
5	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना ।	0.04
6	8	ट्रांजिट पास फार्म X या Y प्राप्त किये बिना अनियमित व्यय।	5.09
7	9	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना भुगतान करना ।	1.89
8	10	मजदूरी के रूप मे संदिग्ध/अनुचित भुगतान करना।	0.66
9	11	अनुमोदित दरों की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान के फलस्वरूप अधिक भुगतान करना ।	0.10

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत गदियाड़ा विकास खण्ड पंचरूखी जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.01.2025 से 27.01.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	09/2022	05/2022
2023–2024	08/2023	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत गदियाड़ा विकास खण्ड पंचरूखी जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹ 5600/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 21 दिनांक 27.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत गदियाड़ा विकास खण्ड पंचरूखी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत गदियाड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	1413546.81	11129	64822	1489497.81	149351	1340146.81
2023–24	1340146.81	69286	71166	1480598.81	126414	1354184.81

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत गदियाड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	3916703.3	5982451	122386	10021540.3	4180542	5840998.3
2023–24	5840998.3	5460204	162063	11463265.3	4446585	7016680.3

बैंक समाधान विवरणी :—

Balance as per Bank on 31.03.2024			
Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC,			
A/c No. 20054004796	KCCB Panchrukhi	Own Source, 14th FC	2293486.81
		5th State,VKVNY, SDP,	
A/c No. 6412000100085067	PNB Panchrukhi	Tourism, VMJS, RGSA	2750638.53
A/c No. 50074971101	KCCB Panchrukhi		10188
A/c No. 50100358461833	HDFC Panchrukhi	15th FC	3286228.3
cash in hand			600
		Total	**8341141.64**
Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)			1354184.81
Cash Book Balance on 31.03.2024		Tourism	176023
Cash Book Balance on 31.03.2024		5 SFC	176588
Cash Book Balance on 31.03.2024		VKVNY	597557
Cash Book Balance on 31.03.2024		14TH FC	942302
Cash Book Balance on 31.03.2024		15TH FC	3286228.3
Cash Book Balance on 31.03.2024		BGP	1000000
Cash Book Balance on 31.03.2024		SDP	582031
Cash Book Balance on 31.03.2024		SBM	200452
Cash Book Balance on 31.03.2024		VMJS	46145
Cash Book Balance on 31.03.2024		RGSA	9354
		Total	**8370865.11**
		diffrence	**29723.47**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.30 लाख का अन्तर पाया जाना :—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2024 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹29,723/– बैंक के कम जमा के रूप में पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 22 दिनांक 27.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजी–02 दिनांक 30.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट हुये नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख–रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 23 दिनांक 27.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजी'02 दिनांक 30.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 निर्देशानुसार स्कीमवार अलग–अलग बैंक खाते न खोलना :–

निदेशक, पंचायत राज के पत्र सख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार स्कीमवार अलग–अलग खाते खोले जाने अपेक्षित है ।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के अन्तर्गत Own Source, 5th State, VKVNY, SDP, Tourism, VMJS, RGSA, स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध एक ही बैंक खाता संख्या 6412000100085067 पी0एन0बी0 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खातावार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31 दिनांक 27.01.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजी–02 दिनांक 30.01.202524 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में उक्त निर्देशानुसार खाते खोलने बारे ध्यान रखा जायेगा।

अतः नियमानुसार तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

5. निवेश :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है,

अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के कुशल प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में **₹**13,54,184/–की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 24 दिनांक 27.01.2025 द्वारा इस बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजी'02 दिनांक 30.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹70.17 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की अपेक्षाओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 70,16,680.30 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अर्न्तगत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

उक्त शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹01.11 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जाना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त

कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व (सम्पति कर ₹1,11,440/–) वसूली हेतु शेष था :–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022—23	55140	47350	102490	50	102440
2023—2024	102440	47500	149940	38500	111440

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व की बकाया राशि इसी तरह बकाया रहती रही तो एक समय पर इसे संग्रहित करना असम्भव हो जायेगा ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25 दिनांक 27.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजी–02 दिनांक 30.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि

सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹1,11,440/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पूर्व उल्लेखित प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹8200/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2022–23 व 2023–24 में निम्न विवरणानुसाार ₹8200/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थेः–

क्र0सं0	विवाह पंजी करण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	प्राप्त की गई राशि (₹)	कम प्राप्त की गई राशि। (₹)
1	01	वसुधा पुत्री महेन्द्र सिंह	16.04.22	23.04.22	200	0	200
2	02	मेघा व्यास पुत्री ध्रुव व्यास	19.04.22	23.04.22	200	0	200
3	03	शैलजा पुत्री शान्ति स्वरूप	02.05.22	18.05.22	200	0	200
4	04	शुभम कुमार पुत्र श्री कुलदीप कुमार	27.04.22	19.05.22	200	0	200
5	05	नितीश व्यास पुत्र श्री कुलदीप व्यास	22.04.22	19.05.22	200	0	200
6	06	अखिल व्यास पुत्र श्री तिलक व्यास	12.05.22	19.05.22	200	0	200

7	07	शिखा पटियाल पुत्री श्री प्रवीण कुमार	09.05.22	24.05.22	200	0	200
8	08	विनय कुमार पुत्र श्री विक्रम चन्द	10.05.22	25.05.22	200	0	200
9	09	अर्षित श्रौत्री पुत्र श्री विनोद श्रौत्री	18.05.22	25.05.22	200	0	200
10	10	अक्षय अवस्थी पुत्र श्री दीप अवस्थी	26.05.22	16.06.22	200	0	200
11	11	अभिषेक जोशी पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार	21.06.22	14.07.22	200	0	200
12	12	पंकज कुमार पुत्र श्री गौतम चन्द	21.06.22	15.07.22	200	0	200
13	13	विमल कुमार पुत्र श्री मिलाप चन्द	20.05.22	26.07.22	400	0	400
14	14	प्रदीप कुमार पुत्र श्री प्रेम सागर	06.07.22	26.07.22	200	0	200
15	15	रूपेश शर्मा पुत्र श्री सतीश कुमार शर्मा	04.08.22	16.08.22	200	0	200
16	16	महक पुत्री श्री रणवीर सिंह ठाकुर	14.08.22	25.08.22	200	0	200
17	17	मनीषा पुत्री श्री पवन कुमार	11.08.22	29.08.22	200	0	200
18	18	सुशांत अवस्थी पुत्र श्री प्रकाश अवस्थी	04.08.22	23.08.22	200	0	200
19	19	राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह	26.09.22	02.10.22	200	0	200
20	20	मनीषा पुत्री श्री संतोष कुमार	26.09.22	06.10.22	200	0	200
21	21	विपन कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार धीमान	26.07.22	15.10.22	400	0	400

22	22	किरण कुमारी पुत्री श्री अशोक कुमार	27.09.22	27.10.22	400	0	400
23	23	सन्नी कुमार पुत्र श्री राणू राम	04.12.22	15.12.22	200	0	200
24	24	अक्षय राणा पुत्र श्री सुभाष चन्द	04.12.22	19.12.22	200	0	200
25	25	विवेक कुमार पुत्र श्री त्रिलोक चन्द	04.12.22	23.12.22	200	0	200
26	26	कविता देवी पुत्री श्री राजू राम	09.02.23	16.02.23	200	0	200
27	27	सौरभ रावत पुत्र श्री जसवन्त सिंह	09.02.23	22.02.23	200	0	200
28	28	नेहा पुत्री श्री संजय कुमार	16.02.23	28.02.23	200	0	200
29	29	सुमित चन्देल पुत्र श्री मधु चन्देल	8.02.23	0103.23	200	0	200
30	30	दीपक पुत्र राज कुमार	09.02.23	01.03.23	200	0	200
31	31	राखी पुत्री राजिन्द्र कुमार	17.02.23	01.03.23	200	0	200
32	32	सुनद अवस्थी पुत्र श्री विरेन्द्र अवस्थी	06.02.23	01.03.23	200	0	200
33	33	सुमना पुत्री श्री मौर राम	16.02.23	10.03.23	200	0	200
34	34	शिल्या कुमार पुत्र श्री रजिन्द्र कुमार	22.02.23	17.03.23	200	0	200
35	35	मोहित वर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द	09.03.23	22.03.23	200	0	200
36	36	सौरभ शर्मा पुत्र श्री वेद कुमार	09.03.23	22.03.23	200	0	200

37	37	तनुजा देवी पुत्री श्री नीटू राम	21.02.23	26.03.23	400	0	400
							8200

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26 दिनांक 27.01.2025 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजी–02 दिनांक 30.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली बारे कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त किये बिना विवाह पंजीकरण करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹3,825/–** प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि (₹)**
1	2023–24	3825.00

विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 27 दिनांक 27.01.2025 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या

जीपीजी–02 दिनांक 30.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें।

8. खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹5.09 लाख के अनियमित भुगतान करने बारेः—

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान **₹**5,09,048/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 28 दिनांक 27.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपीजी–02 दिनांक 30.01.2025 द्वारा सूचित किया कि फार्म एक्स व डब्ल्यु प्राप्त नहीं किये गये है। अतः भविष्य में उक्त फार्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. **औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.89 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹1,88,640/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29 दिनांक 27.01.2025 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजी–02 दिनांक 30.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में निविदायें प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा ।

अतः नियम प्रावधानों के विरूद्ध किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि (₹)	कार्य का नाम
27, 19.05.22	बिल नं0 1001 दि0 19.05. 22 मै0 चामुण्डा हार्डवेयर स्टोर	सरिया	178624.00	नि0 सी0एस0सी0 RGSA
31, 20.05.22	बिल नं0 1006 दि0 19.05. 22 मै0 चामुण्डा हार्डवेयर स्टोर	सरिया	10016.00	नि0 सी0एस0सी0 RGSA

10. मजदूरी के रूप में ₹0.66 लाख का संदिग्ध/ अनुचित भुगतान करना ।

जाँच में पाया कि वाउचर संख्या 22 रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 33 दिनांक 13.05. 22 मस्ट्रोल संख्या 13454 अवधि 01.04.2022 से 30.04.2022 निर्माण कार्य सामुदायिक भवन हाल वरोहल वार्ड 05 हेतु मजदूर (1) सन्तोष कुमारी पत्नी मनोज कुमार (2) विजय कुमार पुत्र ओंकार चन्द (3) रीना पत्नी विजय कुमार (4) अमन कुमार पुत्र मेहर सिंह (5) सरला देवी पत्नी अशोक कुमार व मिस्त्री 1. श्री मनोज कुमार पुत्र अमर नाथ 2. अनिल कुमार पुत्र श्री पंच सिंह को कार्य के एवज़ में ₹ 65760/– का भुगतान किया गया था तथा वाउचर संख्या 32 रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 34 दिनांक 26.05.2022 मस्ट्रोल संख्या 13456 अवधि 01.04.2022 से 30.04.2022 निर्माण कार्य सामुदायिक भवन हाल वरोहल वार्ड 05 हेतु उक्त मजदूर व मिस्त्री को भुगतान किया गया था ।

इसके उपरान्त रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 59 दिनांक 23.07.2023 को विभागीय अंकेक्षणानुसार ₹ 65750/-- की वसूली दोहरी हाजरी के रूप में की गई दर्शाई गई थी, परन्तु प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 21.04.2023 को एक वर्ष उपरान्त उक्त कार्य हेतु मस्ट्रोल संख्या 0014813 अवधि 01.05.2023 से 31.05.2023 जारी किया गया जिसमें भी मजदूर (1) सन्तोष कुमारी पत्नी मनोज कुमार (2) विजय कुमार पुत्र ओंकार चन्द (3) रीना पत्नी विजय कुमार (4) अमन कुमार पुत्र मेहर सिंह (5) सरला देवी पत्नी अशोक कुमार व मिस्त्री 1. श्री मनोज कुमार पुत्र अमर नाथ 2. अनिल कुमार पुत्र श्री पंच सिंह

को कार्य के एवज़ में वाउचर सख्या 30 दिनांक 25.07.2023 को राशि ₹65760/– का भुगतान किया गया, जोकि संदिग्ध/अनुचित प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29 दिनांक 27.01.2025 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजी–02 दिनांक 30.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा अनुचित भुगतान राशि ₹65750/– की वसूली करना सुनिश्चित की जाये।

11. निर्माण सामग्री के क्रय में अनुमोदित दरों की अपेक्षा अधिक दर से भुगतान के फलस्वरूप ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान बारे ।

वर्ष 2022–23 में आमन्त्रित निविदाओं की जाँच में पाया कि पंचायत में इण्टरलॉक टाईल हेतु न्यूनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 श्री गणेश इण्डस्ट्री की दरें अनुमोदित की गई थी। अनुमोदित दरों में 60एमएम डम्बल ग्रे व रैड 13.60 प्रति टाईल दर से अनुमोदित की गई थी। लेकिन बिलों की जाँच में पाया कि निम्नलिखित वाउचरों में आपूर्तिकर्ता को अनुमोदित दरों से अधिक दर से भुगतान कर अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32 दिनांक 27.01.2025 द्वारा इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजी–02 दिनांक 30.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अधिक भुगतान ₹ 10,359/– की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये :–

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	अनुमोदित दरों अनुसार भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)	कार्य का नाम
22, 28.10.23	237, दि0 28.10.22	2000 टाईल रैड 60एमएम	2000 @ 15.48 = 30960/-	2000 @ 13.60 = 27200/-	3760.00	नि0 जीप योग्य रोड टाईल सहित धनश्याम मिश्रा के घर से शिव मन्दिर की ओर 15th FC
22, 28.10.23	236, दि0 28.10.22	2000 टाईल ग्रे 60एमएम	2000 @ 13.98 = 27960/-	2000 @ 13.60 = 27200/-	760.00	–यथोपरि–
शून्य 28.06.23	161 दि0 03.09.22	1100 टाईल ग्रे 60एमएम	1100 @ 13.98 = 15378/-	1100 @ 13.60 = 14960/-	418.00	नि0 सड़क लिंक रोड से हैण्डपम्प की ओर नजदीक संसार चन्द घर MNREGA
शून्य 28.06.23	162 दि0 03.09.22	1100 टाईल रैड 60एमएम	1100 @ 15.48 = 17028/-	1100 @ 13.60 = 14960/-	2068.00	नि0 सड़क लिंक रोड से हैण्डपम्प की ओर नजदीक संसार चन्द घर MNREGA
शून्य 28.06.23	234 दि0 10.09.22	475 टाईल रैड 60एमएम	475 @ 15.48 = 7353/-	475 @ 13.60 = 6460/-	893.00	नि0 सड़क हैण्डपम्प से संसार चन्द घर की ओर MNREGA
शून्य 28.06.23	235 दि0 10.09.22	475 टाईल ग्रे 60एमएम	475 @ 13.98 = 6640/-	475 @ 13.60 = 6460/-	180.00	नि0 सड़क हैण्डपम्प से संसार चन्द घर की ओर MNREGA

शून्य 28.06.23	414 दि0 03.12.22	1800 टाईल ग्रे 60एमएम	1800 @ 13.98 = 25164/-	1800 @ 13.60 = 24480/-	684.00	नि0 सड़क हैण्डपम्प से संसार चन्द घर की ओर MNREGA
शून्य 28.06.23	415 दि0 15.12.22	1800 टाईल ग्रे 60एमएम	1800 @ 13.98 = 25164/-	1800 @ 13.60 = 24480/-	684.00	नि0 सड़क हैण्डपम्प से संसार चन्द घर की ओर MNREGA
शून्य 28.06.23	416 दि0 15.12.22	2400 टाईल ग्रे 60एमएम	2400 @ 13.98 = 33552/-	2400 @ 13.60 = 32640/-	912.00	नि0 सड़क घनश्याम मिश्रा के घर से शिव मन्दिर की ओरर MNREGA
					10359.00	

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

1	नि0 सीएससी RGSA
2	नि0 सामुदायिक हाल बरोहल वार्ड नं0 5
3	नि0 सामुदायिक भवन मझैनू वार्ड नं0 8

13. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के चलते किसी भी स्तर पर धन सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	**रजिस्टर का प्रकार/विवरण**	**प्रारूप**	**सन्दर्भित नियम**
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15. लघु आपत्ति विवरणिका :— इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी—छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16. निष्कर्ष :—लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

20 MAR 2025 20 MAR 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का0/प्रति
1718-1722

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)458/2025—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत गदियाड़ा, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 MAR 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009

का0/प्रति

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Gadiara" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	Tourism	0	0	0	0	0	0
2	5 SFC	58000	196100	0	254100	185440	68660
3	VKVNY	297367	22000	54865	374232	124039	250193
4	14TH FC	942302	0	0	942302	0	942302
5	15TH FC	1982675.3	1931450	67521	3981646.3	881070	3100576.3
6	BGP	0	1000000	0	1000000	0	1000000
7	SDP	251000	550000	0	801000	406239	394761
8	SBM	0	200452	0	200452	0	200452
9	VJMS	85359	509449	0	594808	559964	34844
10	RGSA	300000	0	0	300000	450790	-150790
11	MNREGA	0	1573000	0	1573000	1573000	0
	Total Rs.	3916703.3	5982451	122386	10021540.3	4180542	5840998.3

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Gadiara" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	Tourism	0	300000	0	300000	123977	176023
2	5 SFC	68660	369208	0	437868	261280	176588
3	VKVNY	250193	322825	63639	636657	39100	597557
4	14TH FC	942302	0	0	942302	0	942302
5	15TH FC	3100576.3	1111746	98424	4310746.3	1024518	3286228.3
6	BGP	1000000	0	0	1000000	0	1000000
7	SDP	394761	554769	0	949530	367499	582031
8	SBM	200452	0	0	200452	0	200452
9	VMJS	34844	83051	0	117895	71750	46145
10	RGSA	-150790	199603	0	48813	39459	9354
11	MNREGA	0	2519002	0	2519002	2519002	0
	Total Rs.	5840998.3	5460204	162063	11463265.3	4446585	7016680.3

Balance as per Bank on 31.03.2024

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC,

A/c No. 20054004796	KCCB Panchrukhi	Own Source, 14th FC	2293486.81
A/c No. 6412000100085067	PNB Panchrukhi	5th State,VKVNY, SDP, Tourism, VMJS,RGSA	2750638.53
A/c No. 50074971101	KCCB Panchrukhi		10188
A/c No. 50100358461833	HDFC Panchrukhi	15th FC	3286228.3
cash in hand			600
		Total	8341141.64

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		1354184.81
Cash Book Balance on 31.03.2024	Tourism	176023
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	176588
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	597557
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	942302
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	3286228.3
Cash Book Balance on 31.03.2024	BGP	1000000
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP	582031
Cash Book Balance on 31.03.2024	SBM	200452
Cash Book Balance on 31.03.2024	VMJS	46145
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	9354
	Total	8370865.11
	diffrence	29723.47

(2)

Financial Position of Own sources in r/o GP Gadiara

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	1413546.81	11129	64822	1489497.81	149351	1340146.81
2023-24	1340146.81	69286	71166	1480598.81	126414	1354184.81

परिशिष्ट-3

(अभिलेख उपलब्ध के पत्र संख्या 8 के सम्बन्ध में)

Name of Gram Panchayat Gadiyada Development. Block Panchrukhi Distt Kangra (HP)

(2022-23)

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Payment Date	Bill No & Date	Send CFT	Bajri CFT	Boulder	Bricks Nons	Amount
1	C/O KUHAL KIRAN HOUSE TO PREM CHAND HOUSE	MGNREGA	M/s Urmila Devi	21-05-22	468/01-12-2021	200	0	0	0	8800
				21-05-22	469/01-12-2021	0	7000	0	0	7000
2	C/O CSC VILL GADIYADA	RGSA	Dhruv Chand Rana	21/11-05-22	167/01-05-22	300	100	0	0	18960
				28/19-05-22	175/15-05-22	0	0	0	2000	17800
3	C/O COMMUNITY HALL BAROHAL W/N-5	VJMS	Dhruv Chand Rana /Ms Urmila Devi	25/19/05/22	173/08-05-22	400	400	0	0	35920
				26/19/05/22	492/18-03-22	200	200	200	0	22600
										111080

Name of Gram Panchayat Gadiyada Development. Block Panchrukhi Distt Kangra (HP)

(2023-24)

S.N	Name Of Work	Head	Vender Name	Vocher No & Date	Bill No & Date	Send CFT	Bajri CFT	Boulder	Bricks Nons	Amount
1	C/O KUHAL BANDH TO OLD SCHOOL	MGNREGA	Dhruv Chand Rana	27-06-23	183/20-08-22	370	270	150	0	35071
				27-06-23	202/20-08-22	0	100	0	0	3990
				27-06-23	224/22-08-22	100	100	0	0	8990
2	C/O KUHAL FROM RANU RAM HOUSE TOWARDS BHAGI RAM HOUSE	MGNREGA	Dhruv Chand Rana	27-06-23	209/04-08-22	200	200	150	0	23795
				27-06-23	241/08-09-22	200	200	0	0	17960
3	C/O KUHAL VINOD TENT SHOP TO VIHARI LAL LAND TOWARDS W/N-8	MGNREGA	Dhruv Chand Rana	27-06-23	181/25-08-22	370	370	150	0	39061
				27-06-23	204/25-08-22	0	200	70	0	10703
4	C/O JEEPABLE ROAD GHANSYAM MISHRA HOUSE TO SHIV MANDIR WN 1	MGNREGA	Dhruv Chand Rana	28-06-23	213/26-08-22	200	200	200	0	25740
				28-06-23	252/28-01-23	400	625	0	0	44898
5	C/O PULLI&PATH NEAR DHANA RAM HOUSE	MGNREGA	Dhruv Chand Rana	27-06-23	181/09-08-22	370	370	150	0	39061
				27-06-23	206/09-08-22	0	0	200	0	7780
6	C/O PATH WITH TILE WORK FROM LINK ROAD TOWARDS HAND PUMP NEAR SANSAR CHAND	MGNREGA	Dhruv Chand Rana	28-06-23	214/28-08-22	200	200	200	0	25740
				28-06-23	240/15-09-22	340	0	0	0	16966
7	C/O JEEPABLE ROAD FROM UDHO RAM HOUSE TOWARDS SHIV MANDIR WN 1	MGNREGA	Dhruv Chand Rana	27-06-23	216/29-08-22	200	200	200	0	25740
				27-06-23	229/05-09-22	270	270	340	0	37472
				27-06-23	233/15-10-22	0	0	70	0	2723
8	C/O RAINWATER HARVESTING STRUCTURE G.S.S.SCHOOL SALIYANA	MGNREGA	Dhruv Chand Rana	27-06-23	211/24-08-22	200	200	150	0	23795
				27-06-23	232/20-08-22	70	0	0	0	3493
				27-06-23	234/20-08-22	100	0	0	0	4990
										397968

TA
GP Gadiyada

परिशिष्ट-2

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के संदर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Gadiara **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	55140	47350	102490	50	102440
2023-24	102440	47500	149940	38500	111440